छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2011
(फाल्गुन-6, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 16 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री शिवराज सिंह उसारे के स्थान पर श्री भोलाराम साहू अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2010-2011 पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम तेंदूभाटा में हरेली-सहेली योजना अंतर्गत आवंटित पट्टे की भूमि मड़वा परियोजना हेतु अधिग्रहित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने इन्द्रावती पुल पर निर्धारित शुल्क से अधिक टोल टैक्स की वसूली किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास

(2) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्री अमरजीत भगत

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (डॉ.शक्राजीत नायक) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, नंदकुमार साहू, महंत रामसुंदर दास, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्रीमती अंबिका मरकाम, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में आधे घंटे वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री परेश बागबाहरा (जारी)

(2.01 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दूजराम बौद्ध, देवजी पटेल।

श्री अमर अग्रवाल, आबकारी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों के समस्त बस स्टॉप में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाकर प्रसाधन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।"

श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा, धर्मजीत सिंह।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में वाक्यांश "सुनिश्चित की जाय" के स्थान पर "चरणबद्ध रूप से की जाय" वाक्यांश जोड़ा जाय।

श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों के समस्त बस स्टॉप में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाकर प्रसाधन एवं पानी की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से की जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संचालक मण्डल में बस्तर अंचल से निर्वाचित एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाय।"

श्री भीमा मंडावी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री बैदूराम कश्यप।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में वाक्यांश "बस्तर अंचल से निर्वाचित एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाय" के स्थान पर "बस्तर संभाग के तीन निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च करे" वाक्यांश जोड़ा जाय।

श्री भीमा मंडावी, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संचालक मण्डल में बस्तर संभाग के तीन निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने शुद्ध लाभ की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च करे"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "नेशनल हाईवे 53 पर सरायपाली शहर के बाहरी क्षेत्र होते हुए बायपास रोड का निर्माण कराया जाय।"

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री फूलचंद सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत किया।

8. व्यवस्था

संकल्प में संशोधन की सूचना पूर्व में देनी चाहिए

माननीय सभापति महोदय ने संकल्प में संशोधन के संबंध में व्यवस्था दी कि- संकल्प में संशोधन की सूचना नियमों के अंतर्गत पूर्व में देनी चाहिए। आगे और भी संकल्प प्रस्तुत होंगे, किसी माननीय सदस्य को संकल्प में संशोधन देना है तो वे लिखित में अपना संशोधन सचिवालय को नियमों के अंतर्गत पूर्व में ही दें। संशोधन अस्वीकृत।

9. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 4.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनाँक 26 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा